

## ओ०एम०आर० पत्रक भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. कृपया ओ०एम०आर० पत्रक भरने के लिए केवल नीली/काली स्याही के बॉल पेन का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग कदापि न करें।
2. वृत्ताकृति (गोलों) को सावधानी से भरें। स्याही गोलों से बाहर न फैलने पाये। कोई परिवर्तन/कटिंग/उपर लेखन नहीं करना है। प्लूड या रबर का प्रयोग कदापि न करें।
3. ओ०एम०आर० पत्रक को मोड़े नहीं और न ही किसी प्रकार से विकृत करें।
4. ओ०एम०आर० पत्रक को भरने से पूर्व निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें। किसी प्रकार की त्रुटि के कारण यदि परीक्षक नियुक्ति में कोई विसंगति आती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक एवं संस्थाध्यक्ष का ही होगा।
5. निर्देशों के पिछले भाग में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में संचालित प्रत्येक विषय के विषय कोड दिये गये हैं। उन विषय कोडों को स्पष्ट रूप से देखकर ही अंकित करें। जनपद कोड, ब्लॉक कोड एवं विद्यालय कोड को भली भाँति जाँचकर ही स्पष्ट रूप से अंकित करें।
6. शारीरिक रूप से विकलांग/गम्भीर रोग से ग्रसित होने की दशा में आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है।
7. बिन्दु संख्या 05 को वे ही अध्यापक पूरित करेंगे जिन्हें परिषद् द्वारा कभी भी DEBAR किया गया हो। DEBAR होने का वर्ष तथा अवधि (कितने वर्ष के लिए DEBAR किया गया) अंकित करें।
8. बिन्दु संख्या 06 के प्रथम भाग में शिक्षक वह विषय तथा उसमें अध्यापन कार्य के अनुभव की अवधि भरें जिस विषय में वे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं। बिन्दु संख्या 06 के द्वितीय भाग में शिक्षक (सहायक अध्यापक/प्रवक्ता) वह विषय तथा उसमें अध्यापन कार्य के अनुभव की अवधि भरें जिसे वे विद्यालय में व्यवस्था में पढ़ा रहे हों तथा उसे पढ़ाने के लिए अर्ह हों। ब्यायाम शिक्षक बिन्दु संख्या 06 के प्रथम भाग को न भरें।
9. बिन्दु संख्या 09(A) में अध्यापक एक मूल्यांकन केन्द्र अपने कार्यरत विद्यालय के जनपद का भरें (बिन्दु संख्या 09(A) को पूरित करना प्रत्येक अध्यापक के लिए अनिवार्य है)। बिन्दु संख्या 09(B) को वे ही अध्यापक पूरित करें, जो अपने कार्यरत जनपद से बाहर के जनपद (किन्तु अपने ही मण्डल) में मूल्यांकन कार्य करने के इच्छुक हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए बिन्दु संख्या 09(B) को पूरित करना अनिवार्य नहीं है। (मूल्यांकन केन्द्रों की सूची ओ०एम०आर० पत्रक भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश के पिछले भाग में मुद्रित है)

**नोट :-** शिक्षकों द्वारा इच्छित मूल्यांकन केन्द्र में नियुक्ति केवल उसी स्थिति में संभव है जब इच्छित मूल्यांकन केन्द्र में उनके विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का आवंटन हो तथा जनपद से बाहर केवल तभी भेजा जायेगा जब उनके जनपद के मूल्यांकन केन्द्र पर आवंटित विषयों के परीक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे। अन्यथा की स्थिति में उनको परिषद् द्वारा आवंटित मूल्यांकन केन्द्र में ही मूल्यांकन का कार्य करना होगा।

10. बिन्दु संख्या 13 के प्रथम भाग में वह पद भरें जिस पर आप वर्तमान में कार्यरत हैं। बिन्दु संख्या 14 में वह पद भरें, जिस पद पर विभाग में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई है।
11. बिन्दु संख्या 15 को 31 मार्च 2017 तक 57 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षक ही भरें, कि वे मूल्यांकन करने के इच्छुक हैं या नहीं।  
नोट :- यदि मूल्यांकन केन्द्र पर आवंटित विषयों के परीक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे तभी उक्त तिथि तक 57 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से मुक्त रखा जायेगा। अन्यथा उनके लिए भी मूल्यांकन कार्य करना अनिवार्य होगा।
12. बिन्दु संख्या 16 में अध्यापक अंकित करें कि वे प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक बनने के इच्छुक हैं अथवा नहीं।  
नोट :- प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षकत्व न चाहने वाले अध्यापकों को केवल तभी मुक्त रखा जायेगा जब उनके विषयों में पर्याप्त अध्यापक उपलब्ध होंगे। अन्यथा की स्थिति में उनकी भी प्रयोगात्मक परीक्षक के रूप में नियुक्ति की जायेगी।
13. बिन्दु संख्या 18 में अध्यापक अपना व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर अंकित करें।
14. बिन्दु संख्या 20 में अध्यापक अपने विद्यालय का पूरा नाम अंकित करें (परिषद् की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट नामावली के अनुसार)।
15. बिन्दु संख्या 21 में अध्यापक कार्यरत विद्यालय के ग्राम/शहर का नाम पोस्ट ऑफिस सहित अंकित करें।
16. बिन्दु संख्या 22 में शासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपना आधार नम्बर अंकित करें।
17. बिन्दु संख्या 23 में अध्यापक कार्यरत विद्यालय के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड अनिवार्यतः अंकित करें।
18. बिन्दु संख्या 24 में विद्यालय का टेलीफोन नम्बर अंकित करें। टेलीफोन नं० न होने की स्थिति में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।
19. कोई भी अध्यापक अथवा अध्यापिका ओ०एम०आर० की फोटो कॉपी को भरकर न भेजें।
20. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा ओ०एम०आर० पत्रक पूरित कर लिया गया है तथा उनके द्वारा भरी गयी समस्त जानकारी की जांच कर ओ०एम०आर० को सत्यापित करके परिषद् कार्यालय को भेजें।



अध्यापक विवरण प्रपत्र पूरित करने के उपरान्त स्थानान्तरित अध्यापकों के अध्यापक विवरण में परिवर्तन हेतु प्रारूप।

1- अध्यापक का नाम -

2- पदनाम व विषय (नियुक्ति विषय) -

3- आधार कार्ड संख्या -

4- पूर्व विद्यालय का नाम व कोड -

5- नये विद्यालय का नाम व कोड -

6- नये विकास खण्ड का नाम व कोड -


7- नये विद्यालय के जनपद का नाम व कोड -

8- नये जनपद के इच्छित मूल्यांकन केन्द्र का नाम -

9- नये कार्यरत जनपद से बाहर (अपने मण्डल) के इच्छित मूल्यांकन केन्द्र का नाम -

अध्यापक के हस्ता०

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के हस्ता०  
(नाम व सील सहित)

  
12/01/17